

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,
जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं
जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक
अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 31/8/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, उप
मुख्य शीर्ष-01- मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-02-स्वर्ण
रेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये
लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	1075.650

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये दस करोड़ पचहत्तर लाख पैसेठ हजार मात्र।।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु. 20580.81 लाख (रु. दो सौ पाँच करोड़ अस्सी लाख एकासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 97

रॉची, दिनांक :- 31/8/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 97

रॉची, दिनांक :- 31/8/21

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-02-स्वपरिखा बाँध परियोजना

पत्रांक 97 दिनांक 31/8/14 अनुलग्नक

परिशेष्ट I

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुत्त शीर्ष-01-वेतन एवं मर्तें		विरुत्त शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुत्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुत्त शीर्ष-04-मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत		विरुत्त शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रूपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एलएण्टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14					
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परि० आदित्यपुर जमशेदपुर	विपत्र कोड 49S270001001 02000101	49S270001001 02000112	49S270001001 02000213	49S27000100 102000315	49S270001001 02000333	49S27000100 102000334	49S270001001 02000337	49S27000100102 000442	49S27000100 102000760	118.050						
2	मुख्य अभियंता-ईचागावडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	116.000 1.000 1.000	0.600 0.600 1.200	0.500 0.500 1.000	0.250 0.200 0.450	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.700 0.600 1.300	0.000 0.000 0.000	118.050 105.900 223.950						
3	बांध एवं गेट रूपकण अंचल 1, राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	107.000 0.000 107.000	0.000 0.000 0.500	0.500 0.500 1.000	0.200 0.200 0.400	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.000 1.600 0.000	0.000 0.000 0.000	110.000 97.300 46.500						
4	योजना एवं आयोजन अंचल, राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	96.000 46.000 142.000	0.000 0.000 0.500	0.400 0.100 0.500	0.300 0.300 0.600	0.100 0.100 0.200	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	214.300 62.600 276.900						
5	योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-1 राँची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	213.000 60.000 273.000	0.000 0.000 1.800	0.400 1.400 0.800	0.300 0.500 0.100	0.100 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.700 0.700	171.300 81.800 253.100						
6	रूपकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	133.000 26.210 159.210	0.000 0.000 0.400	0.400 0.000 0.500	0.300 0.200 0.100	0.100 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.400 0.900	0.000 0.000 0.000	134.300 26.810 161.110						
7	स्वर्ण रेखा बांध अंचल चाँदिल	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	169.000 11.000 180.000	0.000 0.000 0.900	0.400 0.500 0.600	0.300 0.300 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.700 1.200	0.000 0.000 0.000	170.300 12.500 182.800						
8	आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल - जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन कुल आवंटन	251.000 99.000 350.000	0.000 0.000 0.300	0.250 0.150 0.400	0.100 0.000 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.000 0.000	252.150 99.150 351.300						

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुत शीर्ष-04-मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत		विरुत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रूपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	एलएण्टीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत	विभि प्रकार	कुल योग	अभियुक्त					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
9	उप निदेशक क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण आदित्यपुर-जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	229.000 0.000	0.000 0.200	0.300 0.100	0.250 0.350	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.600	0.000 0.000	230.100 1.300					
10	कैन्द्रीय भंडार एवं शिपिर, प्रमंडल - चांडिल	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	229.000 256.000 55.000	0.200 0.000 0.000	0.400 0.300 0.450	0.600 0.250 0.250	0.100 0.050 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	1.100 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	231.400 256.600 55.700					
11	नहर रूपारूप प्रमंडल सं-1 जमशेदपुर	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	311.000 315.000 48.300	0.000 0.000 0.000	0.750 0.300 0.000	0.500 0.250 0.000	0.050 0.050 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	312.300 315.600 48.300					
12	पुनर्वास पदो सं-1 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	363.300 173.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.300 0.000	0.250 0.200 0.450	0.050 0.100 0.150	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	363.900 173.600 0.600					
13	पुनर्वास पदो सं-2 स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल, पश्चिमी सिंहभूम	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	178.000 50.000 228.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.250 0.200 0.450	0.000 0.100 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.000 0.500	0.000 0.600 0.600	179.050 50.900 229.950					
14	यांत्रिक प्रमंडल, चांडिल	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	222.000 18.120 240.120	0.000 0.000 0.000	0.300 0.400 0.700	0.250 0.200 0.450	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.500 0.400 0.900	0.000 0.100 0.100	223.050 19.220 242.270					
15	लघु वितरणी प्रमंडल सं-3 मानागो, जमशेदपुर	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	385.000 50.000 435.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.200 0.500	0.250 0.400 0.650	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 1.000 1.000	385.550 51.600 437.150					
16	लघु वितरणी प्रमंडल सं-9 घाटशिला	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	264.000 0.000 264.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.250 0.000 0.250	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.600 0.600	0.000 0.000 0.000	265.150 0.600 265.150					
17	लघु वितरणी प्रमंडल सं-10 घाटशिला	कुल आवंटन पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	385.000 0.000 385.000	0.000 0.000 0.000	0.300 0.000 0.300	0.250 0.250 0.500	0.000 0.100 0.100	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000	0.000 0.100 0.100	385.550 0.450 386.000					

(राजेश प्रसाद)
रूप सचिव (अभि)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें	विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में		
क० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18	विशेष भू-अर्जन पदा० स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	विषय कोड 49S270001001 02000101	49S270001001 02000112	49S270001001 02000213	49S27000100 102000315	49S270001001 02000333	49S27000100 102000334	49S270001001 02000337	49S27000100102 000442	49S27000100 102000760	201.100	0.500	201.600	
19	विशेष भू-अर्जन पदा० स्वर्ण रेखा परियोजना चाडिल, परिचमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन	200.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	0.500	0.500	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		कुल आवंटन	200.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	0.500	0.500	201.600
20	सहा० निदेशक जन संपर्क स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर-जमशेदपुर	विषय कोड 49S270001001 02000101	49S270001001 02000112	49S270001001 02000213	49S27000100 102000315	49S270001001 02000333	49S27000100 102000334	49S270001001 02000337	49S27000100102 000442	49S27000100 102000760	21.050	0.300	319.000	
21	सिंचाई प्रमंडल-गालूडीह	पूर्व का आवंटन	20.000	0.000	0.300	0.250	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	21.050	0.300	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	15.300		
		कुल आवंटन	35.000	0.000	0.300	0.450	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	36.350		
22	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला	विषय कोड 49S270001001 02000101	49S270001001 02000112	49S270001001 02000213	49S27000100 102000315	49S270001001 02000333	49S27000100 102000334	49S270001001 02000337	49S27000100102 000442	49S27000100 102000760	227.550	0.000	227.550	
23	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	5.000	0.000	0.300	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	1.120	6.270		
		अतिरिक्त आवंटन	232.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	233.820		
		कुल आवंटन	240.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	240.600		
24	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	100.000	0.000	0.400	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	341.950		
		अतिरिक्त आवंटन	340.000	0.000	0.700	0.500	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	350.600		
		कुल आवंटन	350.000	0.000	0.300	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	350.600		
25	अतिरिक्त आवंटन का योग	पूर्व का आवंटन	196.300	0.000	0.500	0.300	0.100	0.000	0.000	0.000	4.000	201.200		
		अतिरिक्त आवंटन	546.300	0.000	0.800	0.550	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	551.800		
		कुल आवंटन	1046.930	1.200	5.550	5.650	1.400	0.000	0.000	5.800	9.120	1075.650		

आवंटित राशि- रुपये दस करोड़ पचहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(इयाम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव